न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 51/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

बनाम

मेजर बी.डी. चारण पुत्र बैजदान चारण सा. जयपुर।

4. निर्णय दिनांक :16/04/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा जो कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. (नदी, नाले, जलाशय, तालाब आदि) दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 के द्वारा आवंटन से 25 वर्ष लीज पर दर्ज हुई है। ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा गै0मु0 नदी सिवायचक से नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 द्वारा निजी वन विकास 25 वर्षीय लीज आवंटन होकर मेजर बी0डी0 चारण पुत्र बैजदान चारण सा0 के नाम दर्ज है। नदी, नाले, तालाब, जलाशय आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034, 2059 से 2062 तथा नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु.नदी दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 के द्वारा आवंटन से 25 वर्ष लीज पर दर्ज की गई। ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा गै0मु0 नदी सिवायचक से नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 द्वारा निजी वन विकास 25 वर्षीय लीज आवंटन होकर मेजर बी0डी0 चारण पुत्र बैजदान चारण सा0 के नाम दर्ज है। नदी, नाले, तालाब, जलाशय आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जावे।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम मेजर बी.डी. चारण

51/2013

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा भूमि का अप्रार्थी को नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 द्वारा निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आवंटन किया गया। जमाबंदी संवत 2015–2034 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि गै.मु. नदी, गै0मु0 नाला दर्ज थी। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 16/12/1989 को किया गया था जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। भूमि पूर्व में राजकीय खाते में दर्जशुदा थी, जिसका निजी वन विकास हेतु अप्रार्थी को 25 वर्ष की अवधि हेतु आवंटन किया गया था। लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः लीज स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि किस्म गै0मु0 नदी सिवायचक होने के कारण आवंटन नियमन हेतु प्रतिबंधित है। लिहाजा प्रश्नागत नमान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16/12/89 निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार जयपुर हाल तहसीलदार कालवाड का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16/12/89 को खारिज किया जाता है तथा ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/5 रकबा 10 बीघा भूमि की किस्म पूर्वानुसार गै0 मु0 नदी सिवायचक की जाकर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16/04/2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर